



Neutral Citation No.- 2026:AHC:60166

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5104 वर्ष 2026

रुद्रांश पांडे

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार पांडे,
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान आवेदन दिनांक 18.04.2024 के आरोपपत्र और दिनांक 22.04.2024 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ अपराध संख्या 50737 वर्ष 2024 की संपूर्ण कार्यवाही को, जो मुकदमा अपराध संख्या 573 वर्ष 2023 से संबंधित है और धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 120-बी आईपीसी के तहत, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर, में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ मंडल-प्रथम, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोपपत्र और साथ ही साथ संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती दिया है, ठीक इस आधार पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 10 एससीसी 690** में प्रकाशित, के मामले में स्थापित विधि के अनुसार धारा 420 और 406 आईपीसी एक साथ लागू नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“38. हमारी राय में, शिकायत को सीधे पढ़ने से उपर्युक्त किसी भी तत्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पुलिस और अवर न्यायालयों के मन में कानून को लेकर एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह दावा है कि अभियुक्त ने धारा 405 आईपीसी के तहत परिभाषित आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है, जो धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय है, तो उसी क्षण यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आईपीसी में परिभाषित और स्पष्ट किए गए छल का अपराध भी किया है, जो धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय है।

41. मात्र संविदा-भंग और आपराधिक न्यास भंग एवं छल के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन देते समय आरोपी के इरादे की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। मात्र संविदा-भंग छल के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही, यानी अपराध घटित होने के समय से ही, कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण इरादा प्रदर्शित न हो। इसलिए, यही इरादा अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक न्यास-भंग और छल में अंतर है। छल के मामले में, झूठा या भ्रामक बयान देते समय, यानी शुरुआत से ही, आपराधिक इरादा होना आवश्यक है। आपराधिक न्यास-भंग में, केवल सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक न्यास-भंग के मामले में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल और आपराधिक न्यास-भंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। एक ही परिस्थिति में ये दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए कानून के स्थापित सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क कानूनी मुद्दे पर आधारित होने के कारण विपक्षी पार्टी संख्या 2 को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने, मामले के अभिलेखों और **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अध्ययन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 420 और 406 एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं और इसलिए, दिनांक 22.04.2024 का संज्ञान/समन आदेश अपास्त किया जाना चाहिए। यद्यपि **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 23.08.2024 को पारित किया गया था और वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान दिनांक 22.04.2024 को लिया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 443]** मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमेशा भूतलक्षी प्रकृति का होगा जब तक कि निर्णय में ही विशेष रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव का होगा।
7. उपरोक्त के दृष्टिगत, अपराध संख्या 50737 वर्ष 2024 में, जो मुकदमा अपराध संख्या 573 वर्ष 2023 से संबंधित है और धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 120-बी आईपीसी के तहत, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर, में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ मंडल-प्रथम, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है दिनांक 22.04.2024 को पारित संज्ञान/समन आदेश को अपास्त किया जाता है। मामले को संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि यदि आवश्यक हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** मामले में निर्धारित विधि के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित किया जा सके।
8. अतः, यह आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है।

23 मार्च, 2026

विवेक कुमार

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)